'संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा' विषय के संदर्भ में "(एक) साइबर सुरक्षा के उभरते हुए मुद्दे तथा इनका संसदीय विशेषाधिकारों पर प्रभाव; (दो) एक प्रभावी साधन न कि एक हथियार के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग (तीन) व्यक्तियों की सुरक्षा सहित सोशल मीडिया की सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करना" के उप-विषयों पर भाषण, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन (सीएसपीओसी), कनाडा, 6-10 जनवरी 2020.

माननीय सभापति, विशिष्ट प्रतिनिधिगण:

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे *"संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा"* जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रतिष्ठित सभा में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह विषय साइबर सुरक्षा के उभरते हुए मुद्दों और संसदीय विशेषाधिकार पर उनके प्रभाव, सोशल मीडिया का एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग और व्यक्तियों की सुरक्षा सहित सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करने से संबंधित है। एक प्रातिनिधिक और विधायी निकाय के रूप में संसद का लोकतांत्रिक प्रणाली में नि:संदेह महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा इंटरनेट और विविध सोशल नेटवर्किंग टूल्स के आने के बाद से संसद का लोगों से जुडने का तौर-तरीका ही बदल गया है।

अंतर संसदीय संघ, जिनेवा द्वारा प्रकाशित -- विश्व ई-संसद रिपोर्ट-2018 में ई-संसद की परिभाषा अत्यंत स्पष्ट रूप से दी गई है।

मैं उद्धरित करता हूँ :

"एक ई-संसद अपने कार्य की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी, ज्ञान और मानकों को प्रमुखता प्रदान करती है और जनता के लिए सहयोग, समावेशिता, भागीदारी तथा खुलेपन की भावना से संबंधित मूल्यों का प्रतीक होती है।" उद्धरण समाप्त।

भारत में भी साइबर स्पेस गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत न केवल दुनिया के प्रमुख आईटी केन्द्रों में से एक बन गया है, बल्कि आज दुनिया में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के मामले में यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या में वर्ष 2012-2017 के बीच 44 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से हुई वार्षिक वृद्धि के साथ छह गुना इजाफा हुआ है। एक ओर जहां सूचना और कनेक्टिविटी की उपलब्धता में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि से नागरिक सशक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े साइबर अपराधों से निपटने की आवश्यकता के कारण नई चुनौतियां उठ खड़ी हुई हैं।

विशेष रूप से पिछले दो दशकों में इंटरनेट का विकास संसदों के लिए भी एक वरदान रहा है, क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संसदों को अधिक जटिल गतिविधियां विकसित करने, उन्हें आधुनिक बनाने और इनके प्रबंधन में सहायता मिली हैं जिससे सदस्य विधायी प्रक्रिया पर लगातार नज़र रख पा रहे हैं। इनमें राजनीतिक विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाने की क्षमता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रणालियों की सहायता के बिना संसदों को सूचना प्रबंधन करने और विधेयकों और संशोधनों आदि जैसी चीजें खोजने में कठिनाई होगी। भारत की संसद में भी हम अब काफी लंबे समय से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास संसद की एक सुव्यवस्थित वेबसाइट है और इस पर दुनिया भर में कहीं से भी माउस के एक क्लिक पर हाल ही की सभी कार्यवाहियां, विधेयक, दस्तावेज, भाषण वाद-विवाद, चर्चा इत्यादि सहज रूप से देखे जा सकते हैं। डिजिटल साधनों से वास्तव में लोगों की संसद के दस्तावेजों और गतिविधियों तक पहुंच बढ़ी है और इस प्रक्रिया में तंत्रों की जवाबदेही और पारदर्शिता में भी सुधार आया है। डिजिटलीकरण के अंतर्गत ई-मतदान और ई-भागीदारी विकल्पों को अपनाए जाने से बहुत हद तक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है। ई-लोकतंत्र नागरिकों की भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़ाकर लोकतंत्र तक उनकी पहुंच को और अधिक सुगम बनाने में सहायता करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं और उनसे हमें नए अवसर मिले हैं, जिससे कि हम कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सुविधाएं सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हुई हैं, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर वाणिज्य, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, शिक्षा, पुस्तकालय सेवा, कृषि का क्षेत्र हो। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रही है क्योंकि यह हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर लागू होती है। ई-संसदों और ई-विधान-मंडलों के विकास ने जन प्रतिनिधियों के रूप में हमारे दायित्वों को पूरा करने का तरीका ही बदल दिया है। हम अपनी संसद को अधिक कुशल बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे है तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने तथा जन प्रतिनिधियों को और अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संसदीय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग आवश्यक है।

"वास्तव में अंतर संसदीय संघ, जिनेवा की ई-संसद रिपोर्ट 2018 में कुछ महत्वपूर्ण रूझानों पर भी ज़ोर दिया गया है जिन पर हमारे द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उनमें शामिल है :

(i) अधिकांश संसदों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की गई शासन तथा प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ नें अपना स्थान बना लिया है। इसके साथ-साथ, जब सदस्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रति राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध रहते हैं, उनकी प्रबंधन संबंधी भूमिका में कमी आ रही है क्योंकि संसद के कामकाज का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है।

(ii) एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंगवेज (एक्सएमएल) को अपनाए जाने की प्रक्रिया लगभग समाप्ति के कगार पर पहुँच चुकी है, इसका आशय है कि यह संसदों के द्वारा अपनाए जाने के लिए एक परिपक्व प्रौद्योगिकी है – कुछ मामलों में क्योंकि प्रणालियों को कार्यान्वित कर दिया गया है, परन्तु अन्य मामलों में क्योंकि अभी आवश्यकता को मान्यता प्रदान किया जाना है।

(iii) तुरंत संदेश भेजने के उपयोग में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है, और सोशल मीडिया के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है।

(iv) डिजिटल प्रसारण और वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रयोग पारंपरिक प्रसारण से ज्यादा हो रहा है, जबकि रेडियो के उपयोग में पहली बार कमी दिखाई पड़ रही है।

(v) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अधिकाधिक रूप से अपनाए जाने में आने वाली बाधाओं में कर्मचारियों और सदस्यों में प्रशिक्षण और कौशल की कमी, तथा सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती हुई चिंताएं शामिल हैं। संसदें किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके ज्ञान की कमी को भी नागरिकों की भागीदारिता को बढ़ाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जा सकता है।

(vi) सर्वेक्षण में शामिल की गई संसदों में से एक तिहाई से अधिक संसदें अब संसदीय निगरानी संगठनों (पीएमओ) के साथ सीधे तौर पर सहयोग कर रही हैं।

(vii) अंतर संसदीय संघ का सहयोग सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों, जिनका विस्तार नए मीडिया और सोशल टूल्स से लेकर पारंपरिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकीय संबंधी कार्यों तक है, में आवश्यक है और इसकी बड़े पैमाने पर माँग की जाती है। "

जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया की पहुंच का विस्तार क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर हुआ है और इसने दुनिया भर में सांसदों और लोगों को जोड़ा है। वर्ष 2016 की विश्व ई-संसद रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकों तक पहुँचने के संचार माध्यम के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली मीडिया के रूप में सोशल मीडिया टूल्स ने पहली बार टेलीफोन और रेडियो को पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया सुशासन को बढ़ावा देने और सत्तापक्ष द्वारा सत्ता के दुरूपयोग और भ्रष्टचार को उजागर करने में मदद कर सकता है। तत्काल पहुंच की इसकी विशेषता को देखते हुए यह सभी संबंधित लोगों के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। दुनिया भर की कई सरकारें और भारत की अनेक सरकारी एजेंसियां नागरिकों, व्यापार जगत और विशेषज्ञों से नीति-निर्माण, प्रदान की गई सेवा के बारे में फीडबैक प्राप्त करने, समुदाय आधारित कार्यक्रम तैयार करने इत्यादि के बारे में उनकी राय जानने के लिए उन तक पहुंचने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर रही है। सदस्य पोर्टल नामक ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संदर्भों के साथ ही सभा में विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग किए जाने की सूचनाएँ इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में भेजे जाने सहित सदस्यों को अनेक प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सदस्यों को उनकी याचिकाएं ऑनलाइन भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

जैसे-जैसे सोशल मीडिया से संबंधित वेबसाइट और एप्लिकेशन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही , हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का केंद्र अर्थात साइबर स्पेस में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का जोखिम बना रहता है और उसका दुरूपयोग किया जा सकता है। तथापि, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। समाज के लिए सोशल मीडिया के कुछ प्रत्यक्ष नुकसान भी हैं जैसे साइबर बुलिंग; हैकिंग; एडिक्शन; धोखाधडी और घोटाला; सुरक्षा संबंधी मुद्दे; दुरूपयोग की संभावना जिससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे; स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे; इत्यादि। इसलिए समय की मांग है कि एक विवेकपूर्ण साइबर सुरक्षा नीति तैयार की जाए। वास्तव में, 21वीं शताब्दी की सबसे गंभीरतम चुनौती संभवत: सूचना को सुरक्षित रखना हो

सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में कई मौजूदा और संभावित खतरे हैं जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुँच सकता है।

नई सूचना प्रौद्योगिकियों में भी उप्रदवियों और असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना बनी रहती है। साइबर स्पेस में अपनी पहचान छिपा सकने और क्षेत्र की सीमा न होने के कारण इसके माध्यम से नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है । इसी वजह से विश्व भर में साइबर सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है क्योंकि अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल पहचान चोरी करने, जानकारी चोरी करने और मैलिशियस सॉफटवेयर डालने के लिए किया जा रहा है। इसका प्रभाव उन सभी संसदीय विशेषाधिकारों पर भी पड़ सकता है जो सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उपलब्ध होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकार में वे अधिकार और उन्मुक्तियां शामिल हैं जो संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों तथा अधिकारियों को प्रभावी रूप से अपने संसदीय दायित्वों को पूरा करने के लिए दी जाती हैं। क्लाउड और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास से साइबर खतरा और अधिक बढ़ गया है। इन सब के कारण साइबर सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिसके प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं ।

भारत में हमारी अपनी सुसंगत साइबर सुरक्षा नीति है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के अनुरूप है। वास्तव में, हम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए नई एन्क्रिपशन और निजता की नीतियाँ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि भारत के संविधान के तहत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' का विषय प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपा गया है, तथापि कानून लागू करने वाली एजेंसियां साइबर अपराध करने वाले लोगों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करती हैं। भारत सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता विकसित करने, चेतावनी/एडवाइजरी जारी करने, विधि प्रवर्तक कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, साइबर फॉरेन्सिक सुविधाओं

में सुधार लाने इत्यादि के बारे में सक्रियता से कदम उठाए हैं ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके और जांच की गति बढ़ाई जा सके। सरकार ने ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrimr.gov.in भी शुरू किया है। सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए एक योजना भी शुरू की है जिसके अंतर्गत व्यापक और समन्वित रूप से देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों की देखरेख की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रोकने और कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के केंद्र साइबर स्पेस में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का जोखिम बना रहता है, चाहे वह जानबूझकर की गई हों या गलती से हो गई हों, मानव-निर्मित हो या प्राकृतिक। इसके साथ ही साइबर स्पेस में साझा किए जाने वाले डाटा का राष्ट्र राज्यों और गैर-सरकारी हितधारकों द्वारा गलत प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइबर अपराधों का सामना करने के लिए सभी क्षेत्रों की प्रतिक्रिया लेने के साथ ही सभी संबंधितों के सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्कयकता है। इस प्रकार, पूरी दुनिया के देशों को उपयुक्त कार्य-नीतियां तैयार करने के लिए अपेक्षित जागरूकता, समझ और क्षमता विकसित करने के प्रयास बढ़ाने होंगे।

मित्रो, मुझे विश्वास है कि हमारे आज के विचार-विमर्श से हमें संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा के उभरते हुए मुद्दों; सोशल मीडिया का एक प्रभावी साधन न कि एक हथियार के रूप में उपयोग; व्यक्तियों की सुरक्षा सहित सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी।

धन्यवाद।